(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है; और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में कोई जांच कराने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, दिल्ली के निरीक्षकों के विरुद्ध शिकायतें

2156. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के पूर्वी दिल्ली के मण्डलों में नियुक्त निरीक्षकों द्वारा रिश्वत लिये जाने तथा शक्ति का दुरुपयोग किये जाने के विरुद्ध विभिन्न समितियों तथा नागरिकों से अब तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितने निरीक्षकों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 58 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जिन निरीक्षकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या 32 है। लगाए गए आरोप सामान्यतया परेशान करने, विभागीय अनुदेशों के अनुपालन में अनियमितता बरतने, अवैध रूप से तुष्टिकरण इत्यादि से सम्बन्धित हैं।

(ग) जिन मामलों में आरोप सिद्ध हो गए उनमें उपयुक्त कार्रवाई की गई है। तथापि, अधिकांश शिकायतों को जांच करने के बाद तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया। शिकायतें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

दिल्ली में नये राशनकार्डों का जारी किया जाना

2157. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः माह के दौरान नये राशन कार्डों के जारी किये जाने के लिए पूर्वी दिल्ली में खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के सभी मंडलों में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रत्येक मंडल में निपटा दिये गये तथा लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ग) कितने आवेदनों को रद्द कर दिया गया है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और लम्बित पड़े आवेदनों का कब तक निपटान कर दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग)

			e HMdll^ *rrr	#for qf
	5769	69	5401	368
2	1131	1	1114	17
3	2978	43	2905	73
4	1485	43	1427	58
5(<?r)	2658	14	2630	28
6(«)	2067	48	2010	57
43	4934	97	4602	332

(घ) जो आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिए गए थे वे राशन-कार्डों के जारी करने के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे। लंबित आवेदन-पत्रों को यथाशीघ्र निपटा दिया जाएगा।

Activities of property dealers

2158. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Janata type flats constructed by DDA in Delhi are meant for the economically weaker sections of the Society;

(M) if sp, whether Government keep a watch to see that such flats are actually occupied by people for whom they are meant-

(c) whether Government are aware of the fact that in pocket C-4, Keshava-puram (Lawrence Road), the so called Property Dealers or Estate Agents, have occupied a number of Janata Flats and are indulging in profit making deals by arranging transfer of possession of the flats;

1 (d) whether Government are also aware that unauthorised alterations, sometimes encroaching public pathways are going on in these flats on a large scale; and

(e) whether Government propose to take immediate steps to stop the operations of property dealers in that pocket and also unauthorised extensions there?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Ye;, Sir.

(H) Periodical surveys are done to see that the flats are used for residential purposes only.

(c) to (e) As a result of the survey done by the DDA, it was found that 16 Property Dealers were conducting illegal activities in the Janata flats in Keshava-puram. Show cause notices were issued and allotments/leases have been cancelled in 8 cases. In 7 cases final notices for cancellation have been issued and in one case msuse has been removed. As per the survey report no encroachments was found in public pathways. However unauthorised construction was noticed in 36 Janata flats of Pocket B-4 and notices have been issued to the concerned allottees.